

2025/513.

आंक/ LRC/ 266 दिनांक 20/4/25

सेवा में,

ग्रामीण सेवा सिविल अभियान-2025

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

बेगुं (राज.)

विषय: अधिसूचना अनुसार बैंक का नाम परिवर्तित किये जाने बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 07-04-2025 को जारी असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-07042025-262329 के अनुसार राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक का समामेलन स्वीकृत कर एकीकृत संस्था का नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक होगा। अधिसूचना के अनुसरण में प्राचीन श्रीमान पिता देवीलाल के नाम पटवार मण्डल राजस्थान ग्राम राजस्थान में वर्तमान रोटेशन जमाबन्दी के खाता संख्या 403 पर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक भूमि रहन दर्जे रेकॉर्ड है, जिसमें अधिसूचना अनुसार राजस्थान ग्रामीण बैंक दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक / 2025

राजस्थान

रिपोर्ट पटवार हल्का राजस्थान तहसील-बेगुं (राज.)

महोदयजी,

भारत सरकार द्वारा दिनांक 07-04-2025 को जारी असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-07042025-262329 के अनुसार राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक का समामेलन स्वीकृत कर एकीकृत संस्था का नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक से प्रस्तावित संशोधन किया जाना उचित है।

भू-अभिलेख निरीक्षक कुमार

राजस्थान
पटवारी पटवार हल्का राजस्थान

कार्यालय तहसीलदार बेगुं, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक: राजस्थ/2025/.....

दिनांक / 2025

मूल ही धारणा पर श्रीमान् सिविल प्रभारी महोदय को प्रेषित कर निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक अनुसार राजस्थ दिनांक में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक के बजाय राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है।

राजस्थान
तहसीलदार बेगुं, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)
बेगुं, जिला-चित्तौड़गढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बेगुं (राज.)

क्रमांक: राजस्थ/2025/ 566

दिनांक 29 / 9 / 2025

हरेर रिपोर्ट तहसीलदार बेगुं के राजस्थ रेकॉर्ड में संशोधन की स्वीकृति दी जाती है। पटवारी हल्का राजस्थान राजस्थ रेकॉर्ड में उक्त संशोधन की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

राजस्थान
उपखण्ड अधिकारी,

बेगुं, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्थान
प ट 21/प्रभा